अध्याय VII: विद्युत मंत्रालय

7.1 विद्युत प्रणाली विकास निधि योजनाओं के कार्यान्वयन में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने के कारण राजकोष को हानि

विद्युत मंत्रालय द्वारा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की सूचनाओं को विचारार्थ न लेने के कारण ब्याज की कम दरों पर ₹1,018.12 करोड़ की निष्फल निधि का परिहार्य सृजन और निष्क्रियता हुई जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹11.17 करोड़ की हानि हुई।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (पीएसडीएफ) विनियमावली 2014 के अनुसार, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) एक सार्वजनिक निधि है और इसे विद्युत मंत्रालय के अधीन लोक लेखा में रखा जाएगा। तदनुसार, क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्रों के विभिन्न पूल लेखाओं[1] के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारको आदि से एकत्रित पीएसडीएफ को विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित किया गया था। दिसंबर 2014 में वित्त मंत्रालय ने पीएसडीएफ निधि को लोक लेखा से भारत की समेकित निधि में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था।

पीएसडीएफ का उपयोग राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और विश्वनीयता को सुधारने के लिए राज्य और केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की उपयोगी सेवाओं की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशो के अनुसार, पीएसडीएफ से अनुदान मांगने वाले क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं का मूल्यांकन और समीक्षा अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाती है। निधियों की संस्वीकृति सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में अंर्त-मंत्रालय निगरानी समिति द्वारा की जाती है। विद्युत प्रणाली परिचालन निगम[2] (पोसोको) की एक इकाई नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को पीएसडीएफ

---

[1] *क्षेत्रीय संस्थाओं को देय राशि जारी करने के बाद संकुलन प्रभार, विचलन निपटान प्रभार, क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, एसटीओए द्विपक्षीय लेनदेन में स्पष्ट नीलामी प्रक्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त परेषण प्रभार और अन्य प्रभारों को केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है*

[2] *निगम विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से भारतीय बिजली प्रणाली के चौबीस घंटे एकीकृत संचालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, इस प्रकार यह मिशन हेतु महत्वपूर्ण गतिविधि पूरी करता है। इसमें पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र शामिल हैं*

के लिए सचिवालय कार्य करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अनुदान हेतु मांग में उचित प्रावधान करके वितरण किया जाता है। एनएलडीसी, एक नोडल एजेंसी के रूप में, वितपोषित परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति के आधार पर निधि आवश्यकताओं और उपयोगी सेवाओं द्वारा अनुमानित/प्रतिबद्ध निधि आवश्यकताओं के वित्तपोषण के बजट प्रावधान और वितरण समय सारिणी तैयार करना अपेक्षित है।

एनएलडीसी ने वित्त मंत्रालय को 2018-19 के लिए अनुमोदित पीएसडीएफ वित्तपोषित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए ₹5,481.33 करोड़ की अतिरिक्त निधि आवश्यकता की सूचना दी (अक्तूबर 2018)। आवश्यकता को दिसंबर 2018 में संशोधित करके ₹5,505.61 करोड़ कर दिया गया था। एनएलडीसी के अनुरोध के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने अपेक्षित निधि हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन मांगा था। वित्त मंत्रालय ने निजी नियोजन मोड के माध्यम से ₹5,504.76 करोड़ तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने के लिए अनुमोदन दिया (21 जनवरी 2019)। शेष ₹0.85 करोड़ की राशि को लेखाओं में वर्तमान में उपलब्ध शेष से पूरा किया जाना था। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल): ₹3,487.53 करोड़ और पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी): ₹2,017.23 करोड़ के माध्यम से सार्वजनिक ऋण के रूप में सृजित किया जाना था। विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित उपर्युक्त निधियों को सृजित करने के लिए पीजीसीआईएल और पीएफसी को निर्देश दिया था (21 जनवरी 2019)। तत्पश्चात, निजी नियोजन के माध्यम से ₹2,017.23 करोड़ की निधि सृजित करने हेतु 12 मार्च 2019 को पीएफसी को एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। एनएलडीसी ने विद्युत मंत्रालय को सूचना दी (4 फरवरी 2019) कि पीजीसीआईएल की अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आवश्यकता पूर्णत: तैयार हो चुकी है और पीजीसीआईएल द्वारा सृजित किए जा रहे ₹3,487.53 करोड़ का पूर्णत: उपयोग कर लिया जाएगा। तथापि, अन्य राज्य सत्वों की परियोजनाओं के लिए शेष ₹2,017.23 करोड़ के संबंध में ₹423 करोड़ का तुरंत उपयोग कर लिया जाएगा और ₹613 करोड़ का उपयोग 31 मार्च 2019 तक कर लिया जाएगा। एनएलडीसी ने आगे सुझाव दिया (4 फरवरी 2019) कि निधियों की

निष्क्रियता से बचने के लिए निधियों को चरणबद्ध तरीके से सृजित किया जा सकता है। तथापि, इस संदर्भ में विद्युत मंत्रालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, पीजीसीआईएल ने अर्धवार्षिक आधार पर 8.24 *प्रतिशत* की ब्याज दर पर ₹3,487.50 करोड़ मूल्य वाले भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बांड सृजित किए थे (14 फरवरी 2019)। इस प्रकार सृजित निधि का उपयोग एनएलडीसी द्वारा जारी परियोजना-वार स्वीकार्यता पर आधारित उनकी पीएसडीएफ वितपोषित अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया गया था। एनएचपीसी ने भी 8.12 *प्रतिशत* की ब्याज दर पर 22 मार्च 2019 को ₹2,017 करोड़ के भारत सरकार के पूर्णत: सर्विस्ड बांड सृजित किए थे और इसे अनुमोदित परियोजना सत्वों को आगामी संवितरण के लिए एनएलडीसी को हस्तांतरित किया था।

एनएचपीसी से प्राप्त निधि में से, एनएलडीसी ने 31 मार्च 2019 तक अन्य राज्य सत्वों की पीएसडीएफ परियोजनाओं के लिए ₹760.65 करोड़ और अप्रैल 2019 में ₹238.88 करोड़ तत्काल संवितरित/जारी कर दिए थे। तथापि, शेष ₹1,018.12 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका और यह निष्क्रिय पड़ी रही। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित निधि के कम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, विद्युत् मंत्रालय ने उच्चतम ब्याज दर देने वाले बैंकों के पास अधिशेष राशि रखने का एनएलडीसी को निर्देश दिया (28 मार्च 2019) चूँकि वह निष्क्रिय पड़ी थी। तदनुसार, एनएलडीसी ने दो बैंको में ₹1,000 करोड़ जमा कराए थे (अर्थात एक वर्ष के लिए 7.50 *प्रतिशत* की दर पर एचडीएफसी बैंक में ₹320 करोड़, एक वर्ष के लिए 7.05 *प्रतिशत* की दर पर इंडियन बैंक में ₹480 करोड़ और 91 से 120 दिनों की अवधि हेतु 6.76 *प्रतिशत* की दर पर इंडियन बैंक में ₹200 करोड़)। निधियों को वास्तव में 86 दिनों से 359 दिनों तक एफडीआरज़ में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 4 फरवरी 2019 को एनएलडीसी द्वारा दी गई सूचनाओं को विद्युत मंत्रालय द्वारा विचारार्थ नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप, आवश्यकता से अधिक निधियाँ सृजित हुई। इसके कारण ब्याज की कमतर दर पर ₹1,000 करोड़ की अप्रयुक्त निधि निष्क्रिय हुई और सार्वजनिक राजकोष को ₹11.17 करोड़ की परिणामी हानि हुई।

विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि एनएलडीसी ने संस्थाओं द्वारा प्रतिबद्ध परियोजना की प्रगति पर आधारित अनुमानों पर बजट तैयार किया था और बाद में संस्थाओं द्वारा प्रतिबद्ध प्रगति करने में विफल रहे जिससे निधि संवितरण प्रभावित हुआ और अनुमानित व्यय करवाना कठिन हो गया था क्योंकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन उपयोगी संस्थाओं के नियंत्रणाधीन था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान, मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के माध्यम से अनुमोदित वास्तविक बजट पीएसडीएफ की आवश्यकता से कम था। आरंभ में इसने कार्यान्वयन की गति को कुछ हद तक प्रभावित किया।

विद्युत मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना है कि विद्युत मंत्रालय को दिनांक 4 फरवरी 2019 के पत्र के माध्यम से भेजी गई एनएलडीसी की सूचना को विचारार्थ लेने मे मंत्रालय की विफलता के कारण निधि अप्रयुक्त पड़ी रही। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय का तर्क कि बजटित आवश्यकता से कम आवंटन से परियोजनाओं के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा को भी इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि एनएलडीसी 2017-18 तक पिछले आवंटित बजट का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹20.47 करोड़ का अव्ययित शेष था। बेहतर निगरानी तंत्र के माध्यम से और लाभार्थी राज्यों के साथ-साथ एनएलडीसी से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करके निधियों में विसंगति होने को नियंत्रित किया जा सकता था।

इस प्रकार, उपलब्ध सूचनाओं को विचारार्थ रखने में विद्युत मंत्रालय की विफलता के कारण ₹1,018.12 करोड़ की उच्चत्तर निधि उधार ली गई और यह ब्याज की कमतर दरों पर निष्क्रिय रही जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹11.17 करोड़ का नुकसान हुआ।